OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON): (a) to (c) According to Municipal Corporation of Delhi four complaints were received from Members of Parliament so far as West Delhi is concerned. Encroachments in three cases have been removed and one case is under process.

The number of such complaints as reported to have been received by Delhi Development Authority and Deputy Commissioner, Delhi are 9 and 1 respectively. They have stated that these complaints have been attended to.

(d) Does not arise in view of reply to parts (a) and (c) above.

**Memorial for Former Prime Minister Shri Rajiv Gandhi**

2388. SHRI RAJNI RANJAN SAHU: Will be the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether a memorial to former Prime Minister Shri Rajiv Gandhi, Rajiv Gandhi Kendra is proposed to be set up at Sriperumbudur in Tamil Nadu, where he was assassinated on May 21, 1991;

(b) if so, what are the main features of the proposed memorial; and

(c) the estimated cost thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The details have not yet been finalised.

**Shortage of Drinking Water in Shimla**

2389. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there was acute shortage of drinking water in Shimla and in six other districts of Himachal Pradesh;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) the effect on the tourist traffic to the state;

(d) whether it is also a fact that no preventive/precautionary measures were taken in view of its recurring nature; and

(e) if not, what measure have been taken to ensure uninterrupted water supply?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON): (a) to (e) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

**दक्षिणी मोतीबाग में अतिक्रमण**

2390. श्री चतुरानन मिश्र :
श्री गया सिंह :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि शान्ती मार्किट, दक्षिणी मोती बाग, नई दिल्ली में प्रतिदिन नए अतिक्रमण बढ़ते चले जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि इन अतिक्रमणों की वजह से फुटपाथ और सड़क से लोगों और वाहनों का गुजरना दूभर हो गया है;

(ग) क्या 18 जून, 1993 को उक्त मार्किट के कुछ मीट मछली विक्रेताओं की दुकानें दिल्ली नगर निगम द्वारा तोड़ दी गई थीं;

(घ) क्या दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों को दुकानें तोड़ते समय यह ज्ञात नहीं था कि जिन दुकानों को वे तोड़ रहे हैं, वे काफी पुरानी दुकानें हैं और उनके आवंटन पत्रों की मूल प्रतियां दिल्ली नगर निगम के पास जमा हैं; और क्या दुकानों का तोड़ा जाना पक्षपात पूर्ण था और मीट मछली विक्रेताओं से वैर का परिणाम था; और

(ङ) नए अतिक्रमणों और बाकी बची पक्की दुकानों को नहीं तोड़े जाने के कारणों का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी. के. थुंगन) : (क) और (ख) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि शान्ती मार्किट, खानाबदोशी बाग में कोई नये पक्के अतिक्रमण नहीं हुए हैं । फिर भी वहां रेहड़ी और फेरीवालों आदि द्वारा किए गए अस्थाई अतिक्रमण को हटाना गिराना एक सतत प्रक्रिया है ।

(ग) और (घ) दिल्ली नगर निगम के अनुसार शान्ती मार्किट में सड़कबाजारी आवंटन के नियमों व विनियमनों के उल्लंघन में बनाए गए ढांचों को गिरा दिया गया था और अन्य अस्थाई अतिक्रमणों को 18-6-93 को हटा दिया गया था । प्राप्त सूचना के अनुसार हटाने की कार्रवाई को, केवल मांस एवं मछली बेचने वालों तक ही सीमित नहीं रखा गया था । अतः मांस और मछली बेचने वालों के साथ भेदभाव और दुश्मनी बरते जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) भाग (ग) और (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।